न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06 / 2020 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
GCMS NO :– 2020 / 00013
दायर दिनांक 17.03.2020
निर्णय दिनांक 10.09.2020

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

श्री मनोहर राजपुरोहित पिता घासीराम राजपुरोहित (मालिक / विक्रेता) मैसर्स भवानी मिष्ठान भण्डार गोमती चौराह तह. चारभुजा, जिला राजसमन्द

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एंच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन/ 2011 / 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री मनोहर राजपुरोहित पिता घासीराम राजपुरोहित (मालिक / विक्रेता) मैसर्स श्री भवानी मिष्ठान भण्डार गोमती चौराह तह. चारभुजा जिला राजसमन्द जो की मिठाई बेचने का कार्य करता है। इनकी दूकान मैसर्स श्री भवानी मिष्ठान भण्डार गोमती चौराह तह. चारभुजा जिला राजसमन्द पर दिनांक 12.08.2019 को समय 02.40 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नहीं किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर के पास खाद्य पदार्थ रसगुल्ला पैक्ड (रसधारा) के करीब

17 किलोग्राम के 1–1 किलोग्राम के पॉल पैक्ड आम जनता को विकी हेतु रखे हुऐ थे। इसमें मिलावट का शक होने पर 04 किलोग्राम के 1–1 किलोग्राम के 04 पॉली पैक्ड़ खाद्य पदार्थ रसगुल्ला पैक्ड (रसधारा) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 600/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ हल्दी पाउड़र (केशरी) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा रसगुल्ला पैक्ड (रसधारा) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई – 928 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2019/3085 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस / 412/एक्ट/2019/432 दिनांक 26.09.2019 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना रसगुल्ला पैक्ड (रसधारा) मिसब्राण्डेड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,राजसमन्द ने दिनांक 13.03.2020 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य

Ck

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। विपक्षी को सुना गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया कि उसकी फर्म से जो खाद्य पदार्थ का सेम्पल लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ उसकी फर्म द्वारा निर्मित नहीं किया जाता हैं और ना ही उसकी फर्म द्वारा पेकिंग की जाती हैं। तथा वह निर्दोष है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का रसगुल्ला पैक्ड (रसधारा) मिसब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 26 (II) के अन्तर्गत उक्त केस में मिसब्राण्डेड रसगुल्ला पैक्ड (रसधारा) को विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध, कारित होने से विपक्षी श्री मनोहर राजपुरोहित पिता घासीराम राजपुरोहित (मालिक/विक्रेता) मैसर्स श्री भवानी मिष्ठान भण्डार गोमती चौराह तह. चारभुजा जिला राजसमन्द को राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे रूपया पन्द्रह हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री क्रय करते समय उसका बिल लेंना सुनिश्चित करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द

(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द